Helpline No:-(+91)-9414014475
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर, (राज॰) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 - 2850551–75

क्रमांक : प (   ) जरारासंविवि / मी0शा0 / 26 / 1071 दिनांकः– 15/5/26

कार्यपरिषद की 75 वीं बैठक दिनांक 07.05.2026
प्रातः11.30 बजे का बैठक कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 75 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 07.05.2026 को प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1 **प्रो0 मदन मोहन झा, कुलगुरु महोदय एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्, जरारासंविवि, जयपुर।**
2. **श्री बालमुकुन्दाचार्य, माननीय विधायक, हवामहल, जयपुर। निवासः– 87, ब्राहमणों का मोहल्ला, संस्कृत शाला के पास, हाथोज, जयपुर। Mail ID:- balmukundacharya91@gmail.com**
3. **प्रोफेसर, यशवीर सिंह, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद् के रूप में कार्यपरिषद सदस्य, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।**
4. **श्रीमान् शैलेन्द्र स्वामी, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य एवं कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर।**
5. **डॉ0 विनोद कुमार शर्मा, कुलगुरु द्वारा संकाय अध्यक्षों में से नाम निर्देशित कार्यपरिषद् सदस्य एवं संकायाध्यक्ष वेद वेदांग संकाय, जरारासंविवि, जयपुर।**
6. **डॉ0 स्नेहलता शर्मा, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों और संघटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित कार्यपरिषद् सदस्य एवं सहायक आचार्य, साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।**
7. **डॉ0 गुंजन सोनी, कुलसचिव तथा सदस्य सचिव (पदेन) कार्यपरिषद्, जरारासंविवि, जयपुर।**
8. **श्री रामचन्द्र मीणा, विशेष आमंत्रित सदस्य एवं वित्त नियंत्रक, जरारासंविवि, जयपुर।**

सर्वप्रथम कुलगुरु महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् कार्यपरिषद् के बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई एवं गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु संख्या	विवरण	निर्णय
75–1	विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजना शाखा द्वारा परीक्षा शुल्क अभिवृद्धि, परीक्षा केन्द्रव्यय अभिवृद्धि, परीक्षा केन्द्र पर शिक्षकों / कार्मिकों की संख्या का निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राप्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–2	विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदोन्नति के संबंध में विश्वविद्यालय में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रचलित एवं अनुमोदित नियमों को इस विश्वविद्यालय में लागू करने की स्वीकृति / अनुमोदन राज्य सरकार से आदिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय में राजस्थान सेवा नियम अनुसार ही पदोन्नति किये जाने का प्रकरण अनुमोदनार्थ।	इस प्रकरण पर सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करके राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों का अनुसरण किये जाने का निर्णय लिया गया।
75–3	विद्यापरिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 14.08.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
75–4	वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2026 का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
75–5	शासन सचिव वित्त (बजट) राजस्थान सरकार के	सर्वसम्मति से जारी अधिसूचना क्रमांक प.

	आदेश संख्या प13(12)वित्त (नियम) 2021 दिनांक 20.04.2023 के द्वारा विश्वविद्यालयों में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रावधानों, जो शासन सहायक सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र संख्या प18(1)शिक्षा–6/2021 दिनांक 02.06.2023 द्वारा अनुमोदित है, को जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में तुरन्तु प्रभाव से लागू किये जाने के संबंध में जारी अधिसूचना अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	(355)/जरारासंविवि/संस्था/23/1934–37 दिनांक 22.06.2023 का अनुमोदन किया गया।
75–6	विश्वविद्यालय में पीठाध्यक्षों के कर्त्तव्यों, उत्तरदायित्वों, नियुक्ति, कार्यावधि बढ़ाने, कार्य का आंकलन एवं अन्य नियमों के निर्धारण किये जाने के संबंध में परामर्शदात्री समिति के पुनर्गठन तथा उनके परामर्श का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से परामर्शदात्री समिति के पुर्नगठन आदेश क्रमांक प( )जरारासंविवि/अनु.केन्द्र/26/11982 दिनांक 13.04.2026 का अनुमोदन किया गया।
75–7	विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, मुख्य गेट, समस्त संकायों, विभागों, छात्रावासों एवं अन्य स्थानों पर स्थापित 48 सीसीटीवी कैमरों की सर्विस/रिपेयरिंग/मरम्मत एएमसी सहित कार्य करवाया जाना है। उक्त कुल 48 कैमरों में से 31 कैमरों की रिपेयरिंग होगी एवं 17 कैमरे वर्तमान में चालू स्थिति में है, कि भी जांच करवायी जानी है। उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय पुस्तकालय एवं मंत्र प्रतिष्ठान हेतु 10–10 नये सीसीटीवी कैमरे मय संबंधित सामग्री क्रय किये जाने संबंधी कार्य सम्पादित कराया जाना है। उक्त कार्यों में अनुमानित लागत राशि रूपये 10,00,000/–(अक्षरे राशि रूपये दस लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है। उक्त कार्य जैम पोर्टल/खुली निविदा बोली के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त कार्य संपादन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खुली निविदा बोली के माध्यम से कार्य करवाया जाए।
75–8	विश्वविद्यालय में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के क्रम में संस्थापन शाखा का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	इस प्रकरण में सभी सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से कुलसचिव को रूपये 1,00,000/–(अक्षरे राशि रूपये एक लाख मात्र) एक मद में एक वित्तीय वर्ष में व्यय करने हेतु एवं एक मुश्त रूपये 50,000/–(अक्षरे राशि रूपये पचास हजार मात्र) व्यय करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
75–9	सत्र 2022–23 में 02 शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों को राजभवन द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में कुलपति महोदय के अधिकारिता क्षेत्र 12(4)(1) के अन्तर्गत स्थाई संबद्धता प्रदान किये जाने पर	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि दोनों महाविद्यालयों को स्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने हेतु राजभवन से निर्देश प्राप्त

	संशोधित आदेश अनुसार कुलपति महोदय के अधिकारिता क्षेत्र 12(4)(1) को प्रत्याहृत किये जाने के आदेश की पुष्टि।	हुए हैं अतः कुलगुरु महोदय के अधिकारिता क्षेत्र 12(4)(1) को शून्य समझा जावे।
75–10	विश्वविद्यालय द्वारा संबंद्धता प्रदान किये गये महाविद्यालय से माह जून 2017 के बाद प्राप्त किये गए संबंद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल करने एवं भविष्य में भी संबद्धता शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल कर जमा करवाये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–11	विश्वविद्यालय द्वारा पैनल अधिवक्ता की सूची में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को सम्मिलित करने के संबंध में प्रस्ताव की पुष्टि। 1. श्री अनुराग सिंह, अधिवक्ता, 221, M.C Setalwad Chambers, Bhagwan Das Road, Delhi-1, S 275 G.K.Part I, New Delhi- 110048 2. श्री ध्रुव टेलर, सेक्टर–9, प्लॉट नं0 30, विद्याधर नगर, जयपुर। 3. श्री शिवम शर्मा, प्लॉट नं0 51, करणी इन्द्र एनक्लेव, गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर। 4. श्री भरतलाल सैनी, 58, शांति कुंज, रेल नगर, अजमेर रोड–19 1. डॉ0 सुनीता शर्मा, 15, राजीव विहार, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–12	(i) विश्वविद्यालय में Design, Develop and Hosting of Web Based Affiliation Module कार्य हेतु जारी अल्पकालीन खुली प्रतियोगी बोली संख्या 05/2024–25 के संबंध में M/s Digitalries Pvt. Ltd. Jaipur को स्वीकृति पत्र (LOA) एवं कार्य संपादन प्रतिभूति तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्ताव की पुष्टि। (ii) विश्वविद्यालय में Design, Develop and Hosting of Web Based Affiliation Module कार्य हेतु जारी अल्पकालीन खुली प्रतियोगी बोली संख्या 04/2025–26 के संबंध में M/s Digitalries Pvt. Ltd. Jaipur को स्वीकृति पत्र (LOA) एवं कार्य संपादन प्रतिभूति तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–13	विश्वविद्यालय में प्री0 पीएचडी प्रवेश पात्रता परीक्षा 2024–25 के गोपनीय कार्य हेतु गोपनीय फर्म को जारी किये गये कार्यादेश की पुष्टि तथा वर्ष	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	2025–26 से पूर्णतया यूजीसी नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया करने की स्वीकृति अनुमोदनार्थ।	
75–14	विश्वविद्यालय में स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री हेतु M/s Gupta Agencies, Jaipur & M/s Narendra Sales Agency, Jaipur की निविदा कार्य अवधि में तीन माह (दिनांक 24.09.2024 से 23.12.2024 एवं 24.12.2024 से 23.03.2025 तक) की बढोत्तरी किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–15	राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(5)एफडी(रूल्स)/2009 जयपुर दिनांक 13.10.2025 की पालना में विश्वविद्यालय में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–16	(i) विश्वविद्यालय में सफाई कार्य हेतु फर्म M/s Shakti Cooperative Society Ltd., Jaipur को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73(3) अनुसार कार्यादेश में 01 माह (दिनांक 01.08.2024 से 31.08.2024 तक) की अभिवृद्धि किये जाने के प्रस्ताव तत्पश्चात 01 माह (दिनांक 01.09.2024 से 30.09.2024 तक) की अभिवृद्धि किये जाने के प्रस्ताव तत्पश्चात् 02 माह (01.10.2024 से 30.11.2024 तक) की अभिवृद्धि किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
	(ii) विश्वविद्यालय में समय–समय पर आवश्यकतानुसार टैक्सी वाहनों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स यादव ट्रैवल्स, जयपुर को जारी कार्यादेश में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 29(i) अनुसार तीन माह (दिनांक 01.03.2026 से 31.05.2026 तक) अभिवृद्धि किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
	(iii) विश्वविद्यालय में समय–समय पर आवश्यकतानुसार टेन्ट/शामियाना इत्यादि सेवायें उपलब्ध कराने हेतु M/s Venus Creation, Jaipur को जारी कार्यादेश में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 29(i) अनुसार तीन माह (दिनांक 16.03.2026 से 15.06.2026 तक) अभिवृद्धि किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
	(iv) विश्वविद्यालय में जॉब बेसिस पर सेवा निष्पादकों यथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउन्टेन्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

	कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हल्के वाहनों के ड्राईवर एवं चौकीदार/सिक्योरिटी गार्ड की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु M/s G.S.& Company, Jaipur को जारी कार्यादेश में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 29(i) अनुसार तीन माह (दिनांक 01.03.2026 से 31.05.2026 तक) अभिवृद्धि किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	
75–17	विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में विडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु दर संविदा के संबंध में मैसर्स प्रकाश विडियोज, जयपुर को जारी कार्यादेश की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त कार्यादेश क्रमांक प. (2134)/जरारासंविवि/साप्र/2024/2380–83 दिनांक 23.07.2024 की पुष्टि की गई।
75–18	सत्र 2025–26 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के महाविद्यालयों में संचालन बाबत् अस्थायी संबंद्धता में अभिवृद्धि एवं नवीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–19	विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उपाधियों/प्रमाणपत्रों की समकक्षता के संबंध में जारी अधिसूचना की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त अधिसूचना क्रमांक प()/जरारासंविवि/शैक्ष/2025/4184–4204 दिनांक 28.11.2025 की पुष्टि की गई।
75–20	डॉ0 उमेश नेपाल, सहायक आचार्य, साहित्य विभाग द्वारा पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से त्याग पत्र दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–21	कुलगुरु महोदय के विशेषाधिकार के अन्तर्गत अवकाश कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु विश्वविद्यालय में घोषित किये गये अवकाश के प्रस्ताव की पुष्टि।	सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–22	डॉ0 संदीप जोशी, सहायक आचार्य अनुसंधान के त्याग पत्र के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को निरस्त किये जाने की अभिशंसा की गई।
75–23	विश्वविद्यालय में काफी समय से कार्यपरिषद् की बैठक का आयोजन नहीं होने के कारण दिनांक 17.04.2025 को आयोजित होने वाले सप्तम दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा वर्ष 2023 की कुल 6448 उपाधियां एवं 11 स्वर्ण पदक के वितरण हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा सप्तम दीक्षान्त समारोह में वितरित की जाने वाली उपाधियों एवं स्वर्ण पदक प्रमाण पत्रों पर तिथि निर्धारण हेतु 12(4)(i) के अन्तर्गत दिनांक 03.03.2025 को पत्रावली पर किये गये अनुमोदन की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
75–24	विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग की अनुमोदित कम्प्यूटर फर्म M/s Digitalries Private Limited को कार्यादेश परीक्षा सत्र 2023–24 एवं 2024–25 के प्री एवं पोस्ट गोपनीय कार्य हेतु अनुबंध किया गया था। नई निविदा प्रक्रिया में	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

	समय लगन एवं आगामी परीक्षाओं को समय पर संपादित करने को दृष्टिगत रखते हुए आरटीपीपी नियमों के अनुसरण में अनुबन्ध एवं कार्यादेश में उल्लेखित दरों एवं समस्त शर्तों पर फर्म की अनुबन्ध कार्यावधि आगामी एक परीक्षा सत्र 2025–26 हेतु की गई अभिवृद्धि के प्रस्ताव की पुष्टि।	
75–25	सत्र 2023–24 में कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नवीन संबद्धता/संबद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करने पर आवेदित महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने हेतु प्रो0 भास्कर शर्मा तत्कालीन निदेशक संस्कृत शिक्षा को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 5251–54 दिनांक 27.09.2023 द्वारा अधिकृत किया गया था, जिसकी अनुपालना में निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2023 संशोधन आदेश दिनांक 07.11.2023 व 11.12.2023 द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 2 सदस्यीय निरीक्षण दलों का गठन किया गया, जिसमें एक सदस्य के रूप में उन्होंने प्राचार्य अथवा आचार्य/सहायक आचार्य/सह आचार्य शास्त्री/आचार्य महाविद्यालय को लगाया एवं दूसरे सदस्य के रूप में मंत्रालयिक संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी प्रथम को लगाया, जिन्होंने आदेशों की पालना में निरीक्षण कार्य पूर्ण कर निरीक्षण मानदेय राशि के टी0ए/डी0ए बिल प्रस्तुत किये। उक्त बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत संदर्भित पत्रावली पर वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा पहले "परिनियम संख्या 26 के क्रम में जांच कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये" एवं परिनियमानुसार अर्ह निरीक्षकों को ही नियमानुसार टी0ए/डी0ए का भुगतान किया जाना अपेक्षित है" टिप्पणी अंकित की गई, जिसके क्रम में कुलपति महोदय की वित्त नियंत्रक महोदय से वार्ता हुई। वार्ता पश्चात् डॉ0 भास्कर को पत्र दिनांक 12.04.2024 एवं स्मरण पत्र जारी किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया कि मंत्रालयिक संवर्ग का कर्मचारी उक्त निरीक्षण हेतु पात्र है अथवा उसके लिए अनर्ह है, लेकिन दोनों ही पत्रों का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण में अब तक किसी भी निरीक्षण कर्ता के टी0ए0/डी0ए0 बिल का भुगतान हीं हुआ है। निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा गठित निरीक्षण दल	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण कुलगुरु महोदय के स्तर का है। अतः उक्त प्रकरण को शून्य समझा जावे।

	में दूसरे सदस्य के रूप में मंत्रालयिक/लेखा संवर्ग के कर्मचारी/अधिकारी को लगाया गया है की अर्हता/अनर्हता पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	
75–26	सत्र 2022–23 में कतिपय महाविद्यालयों द्वारा दो पाठ्यक्रमों की संबंद्धता हेतु आवेदन करने पर आवेदित महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने पर निरीक्षण दल के सदस्यों को मानदेय प्रति महाविद्यालय दिया जाना है अथवा अलग–अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग मानदेय दिया जाना है, के प्रकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों द्वारा दो या अधिक पाठ्यक्रमों की संबंद्धता हेतु आवेदन करने पर, उक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने पर निरीक्षण दल के सदस्यों को एक ही मानदेय दिया जावेगा, चाहे उस महाविद्यालय द्वारा कितने भी पाठ्यक्रमों की संबंद्धता हेतु आवेदन किया हो।
75–27	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक, संगोष्टी, दीक्षान्त, परीक्षा कार्यों एवं सम्पूर्ण राजस्थान में परीक्षाओं के आयोजन इत्यादि कार्यों के सफल एवं सुचारू संपादन हेतु आवश्यकतानुसार टैक्सी वाहन किराये पर लिये जाने हेतु स्वीकृति अपेक्षित है। अतः उक्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्यों हेतु विश्वविद्यालय की निजी आय से आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–28	राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में भी वेद विभाग के अधीन आवासीय वेद विद्यालय प्रारम्भ किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से अनुमति लिये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–29	विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अनुभाग की अनुमोदित कम्प्यूटर फर्म M/s Digitalrise Pvt. Ltd., Jaipur को परीक्षा सत्र 2024–25 के परीक्षा कार्यों के संपादन के फलस्वरूप परीक्षा समिति की अनुशंषा अनुसार फर्म का लगभग 80–85 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के कारण फर्म को 70 प्रतिशत राशि रू0 1274604/– (अक्षरे बारह लाख चौहत्तर हजार छः सौ चार मात्र) का भुगतान किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
75–30	विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों पर रात्रि में प्रकाश व्यवस्था हेतु 56 नवीन पोल सहित सोलर स्ट्रीट लाईट लगवाने का व्यय प्रति सोलर लाईट रूपये 10,000/– एवं पुराने पोलो पर सोलर लाईट की संख्या लगभग 60 है, जिसका व्यय 7300/– प्रति सोलर लाईट व्यय होगा। उक्त कार्यों हेतु अनुमानित कुल व्यय 998000/– होने की संभावना है। यह कार्य जैम पोर्टल/खुली	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	निविदा बोली के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त कार्य संपादन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	
75–31	वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.06.2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 07 के क्रम में किये गये संशोधनानुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की शुल्क मुक्ति के संबंध में गठित समिति के माध्यम से बनवाये गये "जरारासंविवि शुल्क मुक्ति एवं शुल्क वापसी नियम–2023" विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–32	माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पेंशन प्रकरणों दिनांक 18.07.2023 को निर्णय पारित कर संबंधित कार्मिकों को पुरानी पेंशन नियम लागू करने हेतु आदेश जारी किये गये है:– 1. वाद संख्या 10433 / 2014 श्री रामकिशोर शर्मा बनाम जरारासंविवि, जयपुर। 2. वाद संख्या 9549 / 2014 श्री सोहनलाल यादव व अन्य (प्रो0 अशोक कुमार तिवाडी, डॉ0 राजधर मिश्र, डॉ0 विनोद कुमार शर्मा, डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा, प्रो0 ताराशंकर शर्मा, डॉ0 जगदीश नारायण विजय) बनाम राज्य सरकार व अन्य। 3. वाद संख्या 9927 / 2014 श्री लम्बोदर मिश्र बनाम राज्य सरकार व अन्य। 4. वाद संख्या 11729 / 2014 श्री सुभाष चन्द अग्रवाल बनाम जरारासंविवि। 5. वाद संख्या 3274 / 2015 डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य। उक्त आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कार्मिक जो विश्वविद्यालय में की गई सेवा की अवधि के परिलाभ लेने को सहमत हों उन्हें भुगतान करने एवं जो कार्मिक विश्वविद्यालय से पूर्व की सेवा अवधि के लाभ भी इस विश्वविद्यालय से लेना चाहते हैं, उस बिन्दु पर अपील करने का निर्णय करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–33	कुलगुरु महोदय के अनुमोदनानुसार परीक्षा वर्ष 2024–25 पीजीडीवाईटी परीक्षा में कुल 11 परीक्षार्थियों एवं परीक्षा वर्ष 2025–26 में शिक्षाचार्य द्वितीय सेमेस्टर में कुल 01 परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप अनुचित साधन निस्तारण समिति की अभिशंषा के आधार पर दण्डित / दोषमुक्त किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

75–34	विश्वविद्यालय के नवीन शैक्षणिक सत्र 2026–27 में निदेशक शैक्षणिक परिसर के अधीन विभिन्न विभागों में कालांश आधारित शिक्षक एवं शिक्षा विभाग में रू0 30000/–मासिक वेतन पर 16 योग्य संविदा शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने तथा (स्ववित्तपोषित) योग विभाग एवं शिक्षा विभाग में अपेक्षित शिक्षक एवं कार्मिक लगाये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्ववित्तपोषित पाठ्‌यक्रमों में कालांश आधारित अधिकतम राशि रूपये 30,000/–(अक्षरे राशि रूपये तीस हजार मात्र) पर योग्य संविदा शिक्षकों को लगाये जाने की अभिशंसा की गई।
75–35	निदेशक, राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान का राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान के शैक्षणिक एवं शोध संबंधी, प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा नीतिगत एवं संगठनात्मक विषय संबंध में प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्ययोजना साथ ही मंत्र प्रतिष्ठान के लिये पदों एवं बजट स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
75–36	विश्वविद्यालय के सम्बद्ध दो महाविद्यालयों 1. राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी नगर, जयपुर। 2. राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा, जयपुर को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु स्वीकृत कर अनुमोदन किया गया।
75–37	मैसर्स यादव ट्रेवल्स, जयपुर को राज्य सरकार के वित्त विभाग के जारी आदेश के क्रम में संपादित निविदा प्रक्रिया अनुसार सिक्योरिटी राशि जमा कराने के साथ अनुबन्ध किये जाने पर अनुबन्ध प्रक्रिया, निर्धारित शर्तों व दरों पर मासिक आधार पर टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–38	शैक्षणिक शाखा से निम्नानुसार प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थः– 1. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नियुक्त शैक्षणिक स्टॉफ का विश्वविद्यालय से अनुमोदन करवाया जाना। 2. विभिन्न पाठ्‌यक्रम संचालन बाबत् ऑनलाईन आवेदन पत्र व संबद्धता शुल्क नियमानुसार प्रस्तुत करने पर प्रक्रियागत कार्यवाही–स्क्रीनिंग/निरीक्षण होने के उपरान्त महाविद्यालय को संबद्धता शुल्क अन्य संस्थानों यथा NCTE, AICTE आदि की तरह संबद्धता शुल्क एक बार जमा होने पर वापसी योग्य नहीं होगा। यदि संबंधित महाविद्यालय द्वारा कमी पूर्ति उपरान्त संबद्धता हेतु आवेदन किया जाता है तो उसकी संबद्धता पर पुनः विचार किया जा सकता है।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

	3. सत्र 2026–27 में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालन बाबत् समस्त आवेदित महाविद्यालयों में निरीक्षण दल सक्षम स्तर से नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव। 4. विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों (राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त) का भी निरीक्षण करवाये जाने का प्रस्ताव।	
75–39	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों 1. बी.ए एवं एम.ए पाठ्यक्रम (पूर्व में संचालित) 2. बी. ए. ऑनर्स 3. स्किल डवलपमेन्ट कोर्सेज 4. संस्कृत एवं सिविल सर्विसेज 5. BPED पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में अनुमोदनार्थ एवं राज्य सरकार से अनुमति लिये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–40	विश्वविद्यालय में स्थापित गेस्ट हाऊस, प्ले ग्राउण्ड, सभागार एवं ओपन एयर थियेटर को रिनोवेशन / मेन्टीनेंस करवाकर किराये पर देने से विश्वविद्यालय को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। अतः रिनोवेशन / मेन्टीनेंस एवं किराये निर्धारण के पश्चात् उक्त सभी को आमजन के लिए किराये पर उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–41	विश्वविद्यालय परिसर स्थित गेस्ट हाऊस के सफल संचालन हेतु पदो के निर्धारण, बजट का प्रावधान एवं इस हेतु आवश्यक सामग्रियों के क्रय किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–42	विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य प्रशासनिक भवन, संकाय भवन, अनुसंधान केन्द्र, पुस्तकालय, तीन होस्टल, आवासीय कॉलोनी, कुलगुरु आवास, कुलसचिव आवास, विशिष्ट आवास, गेस्ट हाऊस इत्यादि के जीर्णोद्धार / मेन्टीनेंस / रेनोवेशन का सम्पूर्ण तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर अथवा आरएसआरडीसी से बनाये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–43	विश्वविद्यालय के कुलगुरु कार्यालय हेतु रू0 10000 / – प्रतिमाह (अक्षरे राशि रूपये दस हजार मात्र), कुलसचिव कार्यालय एवं वित्त नियंत्रक कार्यालय हेतु रू0 5000 / – प्रतिमाह (अक्षरे राशि रूपये पांच हजार मात्र) की राशि अतिथि स्वरूप बाहर से पधारने वाले आगन्तुकों के सत्कार हेतु एक रसोईशाला (पैन्ट्री) की व्यवस्था किए जाने हेतु प्रतिमाह अधिकतम व्यय किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–44	विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों में महत्वपूर्ण	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त

	कार्यों के सफल एवं सुचारू संपादन हेतु सेवानिष्पादकों (यथा–कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउण्टेन्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हल्के वाहनों के ड्राईवर, सहायक कर्मचारी, कुक, क्लिनर, बागवान, हैल्पर एवं चौकीदार / गार्ड) की आवश्यकता है। अतः विश्वविद्यालय की निजी आय से प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से निविदा के अन्तर्गत सेवानिष्पादकों को लिये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–45	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के कुल रिक्त पदों क्रमशः 31 एवं 29 के विरूद्ध शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की भर्ती हेतु वित्तीय स्वीकृति पत्रांक पं.18(8)संस्कृत शिक्षा / 2019 पार्ट–00620 दिनांक 29.10.2024 द्वारा निम्नांकित पदों की नियमानुसार भर्ती किये जाने की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 152402199 द्वारा प्रदान की गईः– 1. सहायक आचार्य – 09 2. कम्प्यूटर ऑपरेटर – 01 3. स्टेनोग्राफर – 01 4. कनिष्ठ लिपिक – 05 उक्त पदों को भर्ती के माध्यम से भरने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार अभिशंसा की गई किः– 1. Non Plan के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जावें। 2. Plan के अन्तर्गत पदों को भरने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जावे। 3. जो पद Plan के हैं एवं जिनको भरने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उसे प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जावे।
75–46	विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन निविदा क्रमांक 08 / 2025–26 में सफल बोलीदाता फर्म मैसर्स यादव ट्रैवल्स, सांगानेर, जयपुर से बोली दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन नियमानुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराने एवं अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–47	नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं यज्ञशाला प्रोजेक्ट के निर्माण के संबंध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.05.2022 एवं कार्यपरिषद् की 70वीं बैठक दिनांक 21.05.2022 द्वारा रूपये 200 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था। वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2026 द्वारा भी उक्त बजट यथावत स्वीकृत किया गया है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के पूर्व महामहिम राज्यपाल श्रीमान् कलराज मिश्र जी के करकमलों द्वारा किया जा चुका है। अतः नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं यज्ञशाला प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	अग्रिम कार्यपरिषद् में पुनः विचारार्थ रखा जावे।

Helpline No:-(+91)-9414014475

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर, (राज.) - 302026

▌वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ▌ई–मेल - jrrsu@yahoo.com ▌टेलीफैक्स: 0141 - 2850551–75

टेबल एजेण्डा		
75–48	कार्यपरिषद् की 73वीं बैठक दिनांक 09.04. 2023 तथा 74वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
75–49	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग सीएएस 6000 से 7000 एवं 7000 से 8000 की प्रक्रिया 27 दिसम्बर 2025 को पूर्ण कर ली गई। अतः नियमानुसार सीएएस प्रक्रिया का अनुमोदन एवं की गई सीएएस के अनुसार आदेश निर्गत करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	प्रो0 श्री मदनमोहन झा, कुलगुरु एवं डॉ0 विनोद कुमार शर्मा ने वित्त नियंत्रक द्वारा पूछा गया कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 6000 से 7000 एवं 7000 से 8000 की श्रृंखला के लिए पूर्ण की गई सीएएस की प्रक्रिया में किसी वित्तीय नियम का उल्लंघन है? विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री रामचन्द्र मीणा द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें किसी भी वित्तीय नियम का उल्लंघन/अवहेलना नहीं है। अतः समस्त सदस्यों द्वारा 6000 से 7000 एवं 7000 से 8000 की वेतन श्रृंखला के लिए की गई सीएएस के आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया। शेष सीएएस भी शीघ्र पूर्ण करने की अभिशंषा की गई।
75–50	विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद् की 74वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 के बिन्दु संख्या 74–11 के निर्णयानुसार सातवें वेतनमान की अतिरिक्त एरियर राशि विश्वविद्यालय की निजी आय से देने की स्वीकृति के साथ ही राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति करने का निर्णय हुआ था। उक्त कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार राज्य सरकार को पत्र भेजा गया, जिसका निर्णय/प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि विश्वविद्यालय के वित्त समिति एवं कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के निजी आय से शिक्षकों के सातवें वेतनमान एरियर देने की अनुशंसा की है। अतः राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति की शर्त को विलोपित करते हुए विश्वविद्यालय की निजी आय से एरियर दिये जाने का प्रस्ताव निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षकों को सातवें वेतनमान का बकाया एरियर विश्वविद्यालय की निजी आय से कर दिया जावे साथ ही राज्य सरकार से इस संदर्भ में पत्राचार करके एरियर राशि की मांग की जावे तथा राज्य सरकार से उक्त राशि प्राप्त होने पर निजी आय से समायोजित किया जावे।
75–51	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक, मंत्र प्रतिष्ठान के पदों का तैयार रोस्टर रजिस्टर, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कर दिनांक 03.05.2026 तक आपत्तियां मांगी गई थी, जिस पर एक आपत्ति प्राप्त हुई है, जो कि संलग्न है। आपत्ति में अभ्यथी द्वारा रोस्टर रजिस्टर में उल्लेखित किसी भी पद के गलत अंकन को इंगित नहीं किया है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा तैयार रोस्टर रजिस्टर एवं प्राप्त आपत्ति विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर चर्चा कर ऐसे व्यक्ति की आपत्ति जो इस रोस्टर रजिस्टर से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं है एवं विश्वविद्यालय से संबंधित भी नहीं है, को शून्य मानकर रोस्टर रजिस्टर को अंतिम रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया।

75–52	अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिनांक 05.09.2023 के परामर्शदात्री समिति के द्वारा की गई पीठाध्यक्षों के चयन तथा दिनांक 22.04.2026 को परामर्शदात्री समिति के द्वारा रिक्त शेष 05 पीठों पर चयन एवं पीठाध्यक्षों के लिये निर्धारित योग्यता आदि कि, की गई कार्यवाही अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर चर्चा कर परामर्शदात्री समिति द्वारा किए गए निर्णयों की पुष्टि की गई।
75–53	NEP 2020 के अनुसार यूजीसी के NCRF के आधार पर विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों का Credit Framework Structure किया गया है, जो कि अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–54	विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 27–(3) के अन्तर्गत अनुसंधान बोर्ड की बैठक दिनांक 10.06. 2024 एवं विद्यापरिषद की 34वीं बैठक दिनांक 11. 06.2024 के द्वारा अनुमोदित एवं दिनांक 11.02. 2026 को नवीन शोध निर्देशक (गाईड) बनाये जाने हेतु जारी आदेशों की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
75–55	विश्वविद्यालय परिसर में अग्रिम शैक्षणिक सत्र 2026–27 के आलोक में कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 09.04.2026 में प्रवेश प्रक्रिया, विज्ञापन, छात्रावास, ब्रोशर व विवरणिका निर्माण इत्यादि विषयों पर अग्रसारित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
75–56	Non Plan के पद जो पहले से ही स्वीकृत/पदस्थापित है जैसेः– आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव पदों को निर्धारित प्रक्रियानुसार भरने की स्वीकृति विचारार्थ/निर्णयार्थ।	वित्त नियंत्रक श्री रामचन्द्र मीणा ने अवगत कराया कि Non Plan पदों को भरने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः सभी सदस्यों ने चर्चा कर समस्त Non Plan पदों को भरने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया।
75–57	विश्वविद्यालय में संचालित बी.ए, एम.ए पाठ्यक्रम का अनुमोदन तथा शिक्षा में नवाचार की दृष्टि से कौशल विकास पाठ्यक्रमों (वास्तु, ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड आदि), बी.ए ऑनर्स संस्कृत एवं सिविल सर्विसेज स्टडीज, BPED तथा MBA, Temple Management, आश्रम मेनेजमेन्ट,, धार्मिक इवेन्ट मेनेजमेन्ट, स्कूल मेनेजमेन्ट, तीर्थ यात्रा मेनेजमेन्ट आदि पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा तीन डिग्री प्रोग्राम के रूप में अन्य विश्वविद्यालयों के साथ चलाने की स्वीकृति अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की तथा यह अभिशंसा की गई कि विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की बैठक में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावे।
75–58	विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् एवं जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 27–28 फरवरी एवं 01 मार्च 2023 को त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण वित्तीय अनियमितता का है अतः गलत कार्यादेश देने से संबंधित समस्त कार्मिकों को आरोप पत्र दिया जाकर इसकी जांच

	आयोजन किया गया। संगोष्ठी आयोजन करने हेतु भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कुल राशि रूपये 5 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया। स्वीकृत राशी में से रूपये 4 लाख 50 हजार विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए तथा रूपये 50 हजार ICPR से आना शेष है। विश्वविद्यालय द्वारा त्रिदिवसीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए अनुमानित बजट (ICPR की राशि 500000/– + संभावित रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राशि 250000/–) कुल राशि रूपये 750000/– का रखा गया था। उक्त बजट राशि में से भोजन, आवास, व्याख्यान मानदेय इत्यादि पर राशि रूपये 586354/– का भुगतान/समायोजन हो चुका है। उक्त संगोष्ठी में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित फर्म मैसर्स आनन्द टेन्ट हाउस को टेन्ट की व्यवस्था करने हेतु दिये गये कार्यालय आदेश के क्रम में फर्म के द्वारा किये गये कार्य के पेटे राशि रूपये 9,62,702/– (अक्षरे राशि रूपये नो लाख बासठ हजार सात सौ दो रूपये मात्र) का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया है, किन्तु अनुमानित बजट राशि प्रस्तुत बिल राशि से कम होने के कारण मैसर्स आनन्द टेन्ट हाउस को भुगतान किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ।	किसी सेवानिवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से करवाई जाए एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाए।
75–59	विश्वविद्यालय में वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार मासिक आधार पर अधिकारियों यथा वित्त नियंत्रक, कुलसचिव एवं पूल टैक्सी वाहनों का अनुबन्ध मैसर्स यादव ट्रेवल्स, जयपुर को 03 मासिक टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु कार्यादेश जारी किया गया था। उक्त आदेशों की पालना में उक्त फर्म द्वारा 03 मासिक टैक्सी वाहन यथा कुलसचिव, वित्त नियंत्रक व पूल वाहन उपलब्ध कराये गये। उक्त 03 वाहनों में से 02 वाहनों का नियमित भुगतान उक्त फर्म को किया गया तथा उक्त वाहनों में से वित्त नियंत्रक को उपलब्ध कराये गये 01 टैक्सी वाहन के माह मई, 2024 से दिसम्बर, 2024 के प्रस्तुत राशि रूपये 3,19,147/–(अक्षरे राशि रूपये तीन लाख उन्नीस हजार एक सौ सैतालीस मात्र) के 08 बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। मैसर्स यादव ट्रैवल्स, जयपुर द्वारा वित्त नियंत्रक को उपलब्ध कराये गये 01 टैक्सी वाहन के मई, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक के प्रस्तुत राशि रूपये 3,19,147/– (अक्षरे राशि रूपये तीन लाख उन्नीस हजार एक सौ सैतालीस मात्र) के 08	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव पर मैसर्स यादव ट्रैवल्स, जयपुर को इस प्रकरण के बकाया बिलों के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

	बिलों का भुगतान उक्त फर्म किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	
	आसन की अनुमति से	
75–60	श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर को अनुसंधान केन्द्र हेतु स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर को अनुसंधान केन्द्र हेतु स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने की अभिशंसा की गई।
75–61	कार्यपरिषद् की बैठक में कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य श्री बालमुकुन्दाचार्य जी महाराज द्वारा विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के सहायक आचार्य श्री महेश शर्मा उर्फ कौशलेन्द्र शर्मा के विरूद्ध एक शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें उन पर आचरण संबंधित विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाये गये एवं प्रमाण भी होने की कही। इन संलग्न गंभीर आरोपों के संदर्भ में प्रकरण विचारार्थ लिया गया।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण पर संपूर्ण जांच हेतु निम्नानुसार एक कमेटी का गठन करने का निर्णय किया गयाः– 1. प्रो0 यशवीर सिंह, अध्यक्ष 2. प्रो0 भास्कर शर्मा क्षोत्रिय, सदस्य 3. डॉ0 नक्षत्रपाल सिंह, सेवानिवृत्त कुलगुरु, सदस्य 4. कुलसचिव, सदस्य सचिव उक्त कमेटी इस प्रकरण पर जांच कर अपनी रिपोर्ट अविलम्ब कुलगुरु महोदय को प्रस्तुत करेगी।

कुलसचिव

कुलगुरु 15/5/26